सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

द इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

नं0 139/2017 विविध प्रार्थना पत्र

1. बालचन्द पुत्र मटोली जाति जाटव निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग हाल निवासी किशनपुर मौहल्ला कस्बा डीग

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील डीग

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज0

निर्णय   दिनांक :— 15.01.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी ख0नं0 1455/0.27, 1456/0.33 हैक्टेयर वाकै ग्राम निभोरी तहसील डीग प्रार्थी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है, उक्त ख0नं0 हाल बन्दोबस्त में गत ख0न0 1453/1—17 बीघा व 1462/2—9 बीघा के बदले में बनाये गये हैं। प्रार्थी के पिता का नाम मटोली राम है तथा समस्त दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता की सही वल्दीयत मटोलीराम के रूप में दर्ज है लेकिन उक्त आराजी में बन्दोबस्त विभाग द्वारा पिता का नाम बालचन्द पुत्र मटोलीराम के स्थान पर बालचन्द पुत्र रोधी दर्ज कर दिया है, लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा बतई गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रार्थी के पिता का नाम मटोली के स्थान पर रोधी दर्ज कर दिया है जिसका कोई अधिकार बंदोबस्त विभाग को नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी मूल रूप से ग्राम नगला खोह का निवासी है लेकिन उक्त आराजी के रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का ग्राम निभोरी का निवासी दर्ज किया हुआ है। अतः उक्त नम्बरान के हाल रिकॉर्ड

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज0

में प्रार्थी के पिता का नाम रोधी के स्थान पर मटोलीराम व प्रार्थी के सकूनत साकिन देह के स्थान पर नगला खोह दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से जवाब तलब किया गया हल्का पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए संलग्न दस्तावेजात के आधार पर दुरुस्ती किया जाना वर्णित किया है। इसके बाद प्रकरण की सुनवाई की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि आराजी ख0नं0 1455/0.27, 1456/0.33 हैक्टे0 बाके ग्राम निगोही तहसील डीग प्रार्थी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है, उक्त ख0नं0 हाल बन्दोबस्त में गत ख0नं0 1453/1–17 बीघा व 1462/2–9 बीघा के बदले में बनाये गये हैं। प्रार्थी के पिता का नाम मटोली राम है तथा समस्त दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता की सही वल्दीयत मटोलीराम के रूप में दर्ज है लेकिन उक्त आराजी में बन्दोबस्त विभाग द्वारा पिता का नाम डालचन्द पुत्र मटोलीराम के स्थान पर डालचन्द पुत्र रोधी दर्ज कर दिया है, लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा कतई गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रार्थी के पिता का नाम मटोली के स्थान पर रोधी दर्ज कर दिया है जिसका कोई अधिकार बंदोबस्त विभाग को नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी मूल रूप से ग्राम नगला खोह का निवासी है लेकिन उक्त आराजी के रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का ग्राम निगोही का निवासी दर्ज किया हुआ है। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस तरह की गलत प्रविष्टि करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जिसे दुरुस्त किया जावे एवं तहसीलदार डीग को दुरुस्ती हेतु निर्देश दिये जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी अनुसार स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साबिक जमाबन्दी ग्राम निगोही सम्वत् 2022–2025 के खाता सं0 94 के कॉलम संख्या 4 व 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत ख0नं0 1453 व 1462 एवं 1463 पर नेमचन्द व डालचन्द पिस0 मटोली कौम चमार सा0देह व0हि0ब0 खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 के अनुसार गत ख0नं0 1453 से नवीन ख0नं0 1455 व गत ख0नं0 1462 से नवीन ख0नं0 1456 बनाये गये हैं। नकल जमाबन्दी हाल ग्राम निगोही सम्वत् 2072–2075 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बरान 1455 व 1456 पर डालचन्द पुत्र रोधी कौम चमार सा0देह खातेदार दर्ज है। जबकि भूप्रबन्ध विभाग को प्रार्थी के पिता मटोली के स्थान पर रोधी दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका व

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

[illegible] एवं चरित्र प्रमाण पत्र में प्रार्थी डालचन्द के पिता का नाम मटोलीराम दर्ज होना स्पष्ट है। इसके अलावा हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में भी प्रार्थी के पिता का नाम डालचन्द पुत्र मटोलीराम दुरुस्त किया जाना वर्णित किया है तथा प्रार्थी को उक्त आराजी पर नगला खोह के दर्ज होने की रिपोर्ट की है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः आदेश है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य होने पर स्वीकार किया जावे। आराजी ख0नं0 1455/0.27, 1456/0.33 हैक्टे0 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी डालचन्द के पिता का नाम रामी के स्थान पर मटोलीराम तथा प्रार्थी की सकूनत साकिन देह के स्थान पर साकिन नगला खोह दुरुस्त किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार तहसीलदार डीग को दुरुस्ती हेतु लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

आदेश आज दिनांक 15.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.